



2026:AHC: 183407

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1890 वर्ष 2024

सरोज कुमार सिंह

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता

: राजीव चड्ढा, राकेश कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, रवींद्र प्रकाश श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या- 92

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल

- पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव और विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री रवींद्र प्रकाश श्रीवास्तव तथा राज्य-प्रत्यर्थी के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री राहुल अस्थाना को सुना गया।
- वर्तमान पुनरीक्षण विद्वान विशेष न्यायाधीश एम.पी./एम.एल.ए./सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्ती द्वारा सत्र विचारण संख्या 871 वर्ष 2023 राज्य बनाम सरोज कुमार सिंह और अन्य में पारित आदेशों दिनांक 21.03.2024 और 13.03.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जो थाना पैकोलिया, जिला बस्ती में भा.द.सं. की धाराओं 304, 330, 342, 217, 218, 120-बी, 34 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 11 वर्ष 1997 से उत्पन्न हुआ है, जिसके द्वारा पुनरीक्षणवादी द्वारा उन्मोचन की मांग करते हुए द.प्र.सं. की धारा 227 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया था और मामले को आरोप विरचित करने के लिए आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षणवादी ने तत्पश्चात आदेश दिनांक 13.03.2024 को भी चुनौती दिया है, जिसके द्वारा पुनरीक्षणवादी सरोज कुमार सिंह सहित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. पुनरीक्षणवादी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि आदेश दिनांक 13.03.2024 अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर उचित रूप से विचार किए बिना, केवल इस निष्कर्ष के आधार पर पारित किया गया है कि पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है। उक्त निष्कर्ष विवेचना के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य और सामग्री के विपरीत है।

4. यह तर्क दिया गया है कि विवेचना पूरा होने के पश्चात, पुलिस ने दिनांक 26.04.1997 की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त अंतिम रिपोर्ट को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिनांक 20.01.2000 द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति के विरुद्ध कोई विरोध याचिका दाखिल नहीं की गई थी। यह आगे तर्क दिया गया है कि अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने के आदेश के लगभग सात दिन बाद, सी.बी.सी.आई.डी. ने न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर संपूर्ण केस डायरी की मांग की जो अंतिम रिपोर्ट के साथ पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी थी। हालांकि, विद्वान मजिस्ट्रेट ने आगे के विवेचना की अनुमति देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया और न ही ऐसा कोई आदेश पारित किया गया जिसमें आगे के विवेचना के लिए मामले को सी.बी.सी.आई.डी. को सौंपने का निर्देश दिया गया हो। पूर्वोक्त परिस्थितियों में, यह तर्क दिया गया है कि सी.बी.सी.आई.डी. द्वारा किया गया बाद का विवेचना बिना किसी विधिक प्राधिकार के था और द.प्र.सं. की धारा 173(8) के अंतर्गत आगे के विवेचना की अनुमति देने वाले विद्वान मजिस्ट्रेट के उपयुक्त आदेश के अभाव में अनुमन्य नहीं था। परिणामस्वरूप, तत्पश्चात सी.बी.सी.आई.डी. द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र, सी.बी.सी.आई.डी. द्वारा किए गए विवेचना की वैधता और साक्ष्यिक विधिमान्यता का पहले परीक्षण किए बिना, पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध कार्यवाही का आधार अपने आप में नहीं बनाया जा सकता था।

5. यह आगे तर्क दिया गया है कि अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री केवल यह स्थापित करती है कि 10.01.1997 को एक विशेष दल का गठन किया गया था। पुनरीक्षणवादी पुलिस थाना नगर के थानाध्यक्ष के रूप में तैनात था और उसे अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में दल के सदस्यों की सहायता करने का निर्देश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, कथित अपराध के संबंध में उसे कोई विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य भी नहीं सौंपा गया है।

6. यह तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय उन्मोचन आवेदन को खारिज करते समय इस महत्वपूर्ण पहलू का परीक्षण करने में विफल रहा है। यह भी तर्क दिया गया है कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है। चिकित्सा राय के अनुसार, मृतक के शरीर पर पाई गई चोटें मृत्यु कारित करने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं थीं। डॉक्टर ने विशेष रूप से यह राय दी थी कि शरीर पर पाई गई कोई भी चोट सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

7. मृतक का विसरा भी संरक्षित और परीक्षित किया गया था, लेकिन उसमें कोई जहरीला पदार्थ नहीं पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आगे संकेत देती है कि मृतक कई वर्षों से तपेदिक से पीड़ित था। डॉ. शिवधनी प्रसाद गुप्ता ने सी.बी.सी.आई.डी. द्वारा दर्ज अपने बयान में यह भी कहा कि मृतक का जिला टीबी अस्पताल में उपचार चल रहा था। यह आगे कहा गया था कि मृतक के फेफड़े संकुलित और संक्रमित थे। पुनरीक्षणवादी के अनुसार, यह संभावना कि पहले से मौजूद तपेदिक और फेफड़ों के संक्रमण और संबंधित चिकित्सा स्थिति के कारण मृत्यु हुई होगी, एक प्रासंगिक परिस्थिति थी जिस पर उचित विचार करने की आवश्यकता थी, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय इस पर विचार करने में विफल रहा।

8. यह आगे तर्क दिया गया है कि विशेष दल अर्थात् 'ऑपरेशन शार्क' के सदस्यों के विरुद्ध सी.बी.सी.आई.डी. द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र दल के प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई गई वास्तविक भूमिका के संबंध में एक प्रभावी और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण अपनाए बिना यांत्रिक रूप से तैयार किया गया प्रतीत होता है और कथित अपराध में पुनरीक्षणवादी की व्यक्तिगत संलिप्तता को स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं लाई गई है। पुनरीक्षणवादी के सेवा अभिलेख पर भरोसा किया गया है और यह तर्क दिया गया है कि उसके पूरे सेवा काल के दौरान, उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई है और उसे कभी भी किसी कदाचार या आपराधिक गतिविधि का दोषी नहीं पाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि कथित घटना में उसकी भागीदारी स्थापित करने वाली किसी सामग्री के अभाव के बावजूद उसे झूठा फंसाया गया है।

9. इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियों को जारी रखना, उसे कथित अपराध से जोड़ने वाली विधिक रूप से ग्राह्य और पर्याप्त सामग्री के अभाव में, विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संवैधानिक गारंटी का भी उल्लंघन करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. पूर्वोक्त आधार पर यह प्रार्थना की गई है कि पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाए और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों दिनांक 21.03.2024 और 13.03.2024 को अपास्त किया जाए तथा पुनरीक्षणवादी को कार्यवाहियों से उन्मोचित किया जाए और उसके विरुद्ध अनुवर्ती कार्यवाहियों को रद्द किया जाए।

11. दूसरी ओर विद्वान ए.जी.ए. ने पुनरीक्षण का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर, न्यायालय को साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि साक्षियों के बयान और आसपास की परिस्थितियों सहित विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध कार्यवाही को जारी रखने को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त थी।

12. इस न्यायालय ने परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और केस डायरी तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

13. यह सुस्थापित है कि, उन्मोचन के आवेदन या आरोप विरचित करने पर विचार करने के प्रक्रम पर, न्यायालय को साक्ष्य का उस प्रकार विस्तृत या सूक्ष्म परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि विचारण के चरण पर किया जाता है। तथापि, न्यायालय को यह परीक्षण करने की आवश्यकता है कि क्या विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री प्रथम दृष्टया वाद का खुलासा करती है या, कम से कम, अभियुक्त के विरुद्ध कथित अपराध करने से जोड़ते हुए एक प्रबल संदेह उत्पन्न करती है। घटना स्थल पर मात्र उपस्थिति या पुलिस दल के साथ पदीय जुड़ाव, अभियुक्त को कथित आपराधिक कृत्य से जोड़ने वाली किसी सामग्री के अभाव में, अपने आप में आरोप विरचित करने को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता है।

14. वर्तमान वाद में, शिकायतकर्ता महेश कुमार का बयान काफी महत्व रखता है क्योंकि वह स्वीकार्य रूप से मृतक का भाई है और उसे दिलीप कुमार की मृत्यु से पूर्व की घटना के मुख्य चशमदीद गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उसका बयान विचारण के दौरान दर्ज किया गया है और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमले की भूमिका विशेष रूप से उप निरीक्षक हरिराम वर्मा और तीन कांस्टेबलों को सौंपी गई थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15. द.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में, महेश कुमार ने कहा है कि उप निरीक्षक हरिराम वर्मा और तीन कांस्टेबल दिलीप कुमार को कमरे के अंदर ले गए, दरवाजा बंद कर दिया और उस पर हमला किया। उसने आगे कहा है कि उसके भाई की चीखें अंदर से आ रही थीं। हालांकि, उक्त बयान में दिलीप कुमार पर कोई हमला आरोपित करने वाला कोई विशिष्ट आरोप नहीं है।

16. "ऑपरेशन शार्क" दल के गठन से संबंधित आधिकारिक अभिलेख के प्रकाश में यह अंतर महत्व रखता है। पुलिस अधीक्षक, बस्ती द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.01.1997 इंगित करता है कि उप-निरीक्षक हरिराम वर्मा, पुलिस लाइन, जिला बस्ती को दल का प्रभारी नियुक्त किया गया था, और चार कांस्टेबलों को इसके साथ संबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षणवादी को उक्त दल के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया था। इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री इंगित करती है कि पुनरीक्षणवादी, जो पुलिस थाना नगर के थानाध्यक्ष के रूप में तैनात था, को केवल उक्त दल की सहायता करने का निर्देश दिया गया था।

17. इस प्रकार, केवल यह तथ्य कि पुनरीक्षणवादी पुलिस थाना नगर के थानाध्यक्ष के रूप में अपनी पदीय हैसियत में पुलिस कार्यवाहियों में उपस्थित था या जुड़ा हुआ था, अपने आप में उस पर मृतक पर हमले का कृत्य आरोपित करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान नहीं कर सकता है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि, अभियोजन पक्ष का अपना मुख्य चश्मदीद गवाह पुनरीक्षणवादी को हमले का कोई प्रत्यक्ष कृत्य या भूमिका नहीं सौंपता है।

18. यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन का मामला स्वयं हमले की वास्तविक भूमिका उप निरीक्षक हरिराम वर्मा और तीन कांस्टेबलों को सौंपता है और पुनरीक्षणवादी को मृतक को कमरे के अंदर ले जाने, हमला करने या कथित घटना में भाग लेने में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। यह ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है कि पुनरीक्षणवादी 'ऑपरेशन शार्क' दल का सदस्य नहीं था और उसकी भूमिका केवल दल के सदस्यों को उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने तक सीमित थी। ऐसा कोई विशिष्ट आरोप या साक्ष्य नहीं है जो यह इंगित करता हो कि पुनरीक्षणवादी ने स्वयं मृतक को कोई चोट पहुंचाई या अन्यथा उस पर हमले में भाग लिया। चोट पहुंचाने के संबंध में उसे कोई प्रत्यक्ष कृत्य नहीं सौंपा गया है जिसके परिणामस्वरूप अंततः मृतक की मृत्यु हुई।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



19. केवल यह तथ्य कि पुनरीक्षणवादी पुलिस थाना संत कबीर नगर का थानाध्यक्ष था और पुलिस प्रासंगिक अवधि के दौरान बभनान चौकी गई थी, हमले में उसकी भागीदारी का प्रबल संदेह उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और इसलिए, भागीदारी, दुष्प्रेरण, साजिश या किसी अन्य विधिक रूप से संज्ञेय अपराध को दर्शाने वाली सामग्री के अभाव में केवल उसके पदीय पदनाम या पर्यवेक्षी भूमिका के आधार पर उस पर आपराधिक दायित्व तय नहीं किया जा सकता है।

20. अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य पर भरोसा किया है कि पुनरीक्षणवादी प्रश्नगत पुलिस कार्रवाई से जुड़ा था। हालांकि, इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आधिकारिक आदेश तात्त्विक रूप से उसकी स्थिति को "ऑपरेशन शार्क" दल का गठन करने वाले कर्मियों से अलग करता है। आदेश विशेष रूप से उप-निरीक्षक हरिराम वर्मा को दल के प्रभारी के रूप में नामित करता है और चार कांस्टेबलों को उनके निर्देशन में काम करने का प्रावधान करता है। पुनरीक्षणवादी उक्त दल के सदस्य के रूप में शामिल नहीं है, और उसकी भूमिका उसे सहायता प्रदान करने तक सीमित थी। इस तरह के पदीय जुड़ाव को, अपने आप में, कथित हमले में भागीदारी के समान नहीं माना जा सकता है।

21. यह न्यायालय सचेत है कि, आरोप विरचित करने के चरण पर, अभियुक्त के बचाव का सामान्यतः उस प्रकार परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि साक्ष्य या विचारण के चरण पर किया जाता है। हालांकि, अभियोजन सामग्री, भले ही इसे इसके प्रकट रूप में लिया जाए, अभियुक्त को कोई विशिष्ट कृत्य नहीं सौंपती है, और आसपास की दस्तावेजी सामग्री उसके विरुद्ध आरोपित भूमिका को काफी हद तक नकारती है, उसे केवल उसके पदीय पदनाम के आधार पर आपराधिक विचारण का सामना करने के लिए विवश करना न्याय के उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाएगा।

22. केस डायरी में उपलब्ध समग्र मूल्यांकन पर, यह न्यायालय पाता है कि मुख्य चशमदीद गवाह ने वर्तमान पुनरीक्षणवादी को कोई विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य नहीं सौंपा था। आधिकारिक आदेश उसे 'ऑपरेशन शार्क' दल का सदस्य नहीं दर्शाता है और चिकित्सा साक्ष्य अपने आप में उसे कथित हमले या मृत्यु से नहीं जोड़ सकता है। इसलिए सामग्री पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए आवश्यक सीमा से कम है।

23. इन परिस्थितियों में, विद्वान विचारण न्यायालय उन्मोचन आवेदन को खारिज करने और उसके विरुद्ध आरोप विरचित करने की कार्यवाहियों में न्यायोचित नहीं था। जहां तक आक्षेपित आदेशों का संबंध वर्तमान पुनरीक्षणवादी से है, उन्हें कायम नहीं रखा जा सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



24. उपरोक्त के दृष्टिगत, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। विद्वान विशेष न्यायाधीश एम.पी./एम.एल.ए./सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्ती द्वारा सत्र विचारण संख्या 871 वर्ष 2023 राज्य बनाम सरोज कुमार सिंह और अन्य में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 21.03.2024 और 13.03.2024, जो थाना पैकोलिया, जिला बस्ती में भा.द.सं. की धाराओं 304, 330, 342, 217, 218, 120-बी और 34 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 11 वर्ष 1997 से उत्पन्न हुआ है, जिसके द्वारा पुनरीक्षणवादी द्वारा उन्मोचन की मांग करते हुए द.प्र.सं. की धारा 227 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया था और पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध आरोप विरचित करने वाला अनुवर्ती आदेश दिनांक 21.03.2024 अपास्त किए जाते हैं। पुनरीक्षणवादी अर्थात् सरोज कुमार सिंह को वर्तमान वाद में कार्यवाहियों से उन्मोचित किया जाता है।

25. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल वर्तमान पुनरीक्षणवादी की भूमिका और दायित्व तक ही सीमित है और किसी अन्य अभियुक्त की कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगा, जो विधि के अनुसार आगे बढ़ेंगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान पुनरीक्षणवादी के संबंध में सीमित हैं और इसका अर्थ किसी अन्य अभियुक्त के दोष या बेगुनाही के संबंध में सामग्री की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

19 अगस्त, 2026

देव

(न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”